



न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 92/2022 अंतर्गत धारा-75 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2022/111)

अनवान:

1. शांति देवी बेवा मांगीराम जाति बावरी निवासी चक 32 एफ अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर वगैरह।  
बनाम
1. बहादर राम पुत्र मंगलाराम जाति बावरी निवासी चक 32 एफ अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

23.04.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया। उपरोक्त अनवानी अपील सहवन से इस न्यायालय में पेश कर दी। उक्त अपील ग्राम पंचायत अरायण के आदेश के विरुद्ध पेश की है जबकि इसकी अपील अन्य न्यायालय के समक्ष पेश होनी थी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील अपीलांट सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाने की कृपा करें।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली इस न्यायालय में एडमिशन स्तर पर लंबित है। अतः उपरोक्त अनवानी अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण एडमिशन स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलांट उक्त अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सरुपुर)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर